

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर १, २०१४/अग्रहायण १८, १९३६

No. 657]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

### भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग) केन्द्रीय कार्यालय

# अधिसूचना

मुम्बई, 24 नवम्बर, 2014

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 879(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 अधिसूचना संख्या फेमा. 5/ 2000-आरबी), जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातु:-

## 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 अधिसूचना संख्या फेमा. 5/2000-आरबी) में,

विनियम 4 में, उप-विनियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(5) किसी बहुपक्षीय संगठन, जिसका भारत एक सदस्य राष्ट्र है, ऐसे बहुपक्षीय संगठन और भारत में उसकी सहायक/सम्बद्ध संस्थाओं तथा अधिकारियों द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए खाते में धारित जमाराशियां।"

[सं. फेमा 327/2014-आर बी]

सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

4861 GI/2014 (1)

**पाद टिप्पणी** :- मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.िन. संख्या 388 (अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग ॥, खंड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. नं. 262(अ) दिनांक 09.04.2002	सा.का.नि. नं. 91(अ) दिनांक 15.02.2008
सा.का.नि. नं. 577(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. नं. 714(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. नं. 855(अ) दिनांक 31.12.2002	सा.का.नि. नं. 442(अ) दिनांक 23.06.2009
सा.का.नि. नं. 494(अ) दिनांक 04.08.2004	सा.का.नि. नं. 822(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. नं. 221(अ) दिनांक 07.04.2005	सा.का.नि. नं. 893(अ) दिनांक 17.12.2012
सा.का.नि. नं. 663(अ) दिनांक 14.11.2005	सा.का.नि. नं. 798(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. नं . 28(अ) दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. नं. 26(अ) दिनांक 17.01.2013
सा.का.नि. नं. 495(अ) दिनांक 23.07.2007	सा.का.नि. नं. 531(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. नं. 664 (अ) दिनांक 16.10.2007	

#### RESERVE BANK OF INDIA

#### (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

#### **Central Office**

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th November, 2014

# Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment)

# Regulations, 2014

G.S.R. 879(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.5/2000-RB, dated 3rd May, 2000), hereinafter called 'Principal Regulations' namely:-

#### 1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. Amendment of Regulation

In the Foreign Exchange Management (Deposits) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 5/2000-RB, dated May 3, 2000),

In Regulation 4, sub-regulation 5 shall be substituted by the following namely:

"(5) Deposits held in accounts maintained with an authorised dealer by any multilateral organization and its subsidiary/affiliate bodies and officials in India of such multilateral organisations, of which India is a member nation."

[No. FEMA. 327/ 2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI *vide* G.S.R. No. 388(E), dated May 5, 2000 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*:-

G.S.R. No. 262 (E) dated April 9, 2002,

G.S.R. No. 577 (E) dated August 19, 2002,

G.S.R. No. 855 (E) dated December 31, 2002

G.S.R. No. 494 (E) dated August 4, 2004

G.S.R. No. 221 (E) dated April 7, 2005

G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005

G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006

G.S.R. No. 798(E) dated October 30, 2012

G.S.R. No. 26(E) dated January 17, 2013

G.S.R. No. 495 (E) dated July 23, 2007

G.S.R. No. 664 (E) dated October 16, 2007

G.S.R. No. 91 (E) dated February 15, 2008,

G.S.R. No. 714(E) dated November 14, 2007

G.S.R. No. 442(E) dated June 23, 2009,

G.S.R. No. 822(E) dated November 10, 2012

G.S.R. No. 893(E) dated December 17, 2012

G.S.R. No. 531(E) dated August 5, 2013